

21.11.17

पत्रावली में बार-बार भावज दिलाई गई
किन्तु वादीगण असालतन या क्कालतन उपस्थित
नहीं आये। अतः प्रकरण अदम हाजरी व अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेंसलशुमा होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील जमा जिला अगिलेखागाए
है।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गांगापूर सिटी (स०मा०)